:: महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर ::

क्रमांकः उद्योग / सामग्री निर्माण / 2011 / 50839-880 दिनांक 28/3/11

स्थाई आदेश संख्या 01 / 2011

विषयः—सश्रम कारावास से दंडित बंदियों को श्रम अवसर उपलब्ध कराया जाना।

राज्यान्तर्गत कारागारों में संचालित उद्योगशालाओं में सश्रम कारावास से दंडित निरूद्ध बंदियों को श्रम अवसर उपलब्ध कराने के विभागीय उत्तरदायित्व एवं उद्योगशालाओं में श्रम अवसरों की उपलब्धता सीमित होने के परिपेक्ष्य में कारागार अधीक्षकों से अपेक्षा की जाती हैं कि वे उनके क्षेत्राधिकार में कार्यरत शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं निजी संस्थानों से जॉब वर्क के रूप में कार्य प्राप्त कर बंदियों को निरन्तर आवश्यकतानुसार श्रम अवसर सृजित करवाकर श्रम उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगें।

उपरोक्तानुसार श्रम अवसर सृजित करने की व्यवस्था निम्न दिशा निर्देशों के अन्तर्गत की जायेगी :—

1. कच्चा माल, आवश्यक उपकरण तथा बंदियों को प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था श्रम अवसर उपलब्ध कराने वाले संस्थान द्वारा की जायेगी।
2. जॉब वर्क द्वारा निर्मित उत्पाद श्रम अवसर उपलब्ध कराने वाले संस्थान को ही सौंपे जायेगें।
3. इस स्थायी आदेश के अन्तर्गत सृजित श्रम अवसरों में कारागार की उद्योगशाला में कारागार प्रशासन द्वारा उपलब्ध करवाये गये श्रम अवसरों में नियोजित बंदियों के अतिरिक्त श्रम उपलब्ध करवाने हेतु शेष रहे बंदियों का ही नियोजन किया जायेगा।
4. प्रत्येक जॉब वर्क की दरें (CHARGES) परस्पर सहमति से निर्धारित की जायेगी, परन्तु दर निर्धारण प्रक्रिया में यह ध्यान रखा जावेगा कि निर्धारित दर प्रति बन्दी प्रति दिन निर्धारित टास्क से कम से कम दुगनी हो, ताकि बंदी को नियमानुसार दिये जाने वाले पारिश्रमिक के भुगतान के पश्चात् अन्य ऊपरी प्रभार (ओवर हैड चार्जेज) वहन करने हेतु भी समुचित धनराशि उपलब्ध हो सके।
5. जॉब वर्क में नियोजित किये जाने वाले प्रत्येक बंदी को नियमानुसार देय पारिश्रमिक का भुगतान सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से प्रति दिवस किये जाने वाले कार्य का एवं उसमें लगने वाले समय का निर्धारण जॉब वर्क प्रारम्भ करने के पूर्व किया जावेगा। अपूर्ण कार्य के लिए बंदी को अनुपातिक आधार पर ही पारिश्रमिक का भुगतान किया जावेगा।

निरन्तर.....2

6. परस्पर सहमति के आधार पर जॉब वर्क के सम्बन्ध में निम्न पंजिकाएं यथा **कच्चा माल पंजिका, निर्मित माल पंजिका** एवं **नियोजित बंदी हाजरी तथा संपादित कार्य विवरण पंजिका** आवश्यक रूप से संधारित की जावेगी।
7. जॉब वर्क हेतु प्राप्त कच्चा माल एवं तत्पश्चात् तैयार निर्मित माल की आवक जावक कारागार अधीक्षक द्वारा जारी गेट पास के माध्यम से नियन्त्रित की जावेगी। इस सम्बन्ध में भी पंजिका का संधारण किया जायेगा।
8. कच्चा माल एवं निर्मित माल की आवक एवं जावक प्रक्रिया में सम्बन्धित संस्थान के अधिकृत प्रतिनिधि ही नियोजित किये जावेगें, जिनकी प्रवेश/निकास प्रक्रिया इस तरह की होगी, ताकि किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक एवं निषिद्ध सामग्री कारागार परिसर में लाया जाना संभव नहीं हो सके।
9. बंदी श्रम पेटे प्राप्त समस्त भुगतान बंदी कल्याण कोष में जमा कराया जायेगा।

Sd-
(ओमेन्द्र भारद्वाज)
महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार,राजस्थान,जयपुर

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. समस्त महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक कारागार रेंज, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर।
2. मुख्य लेखाधिकारी, महानिदेशालय कारागार, राजस्थान,जयपुर।
3. निजी सचिव, महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान,जयपुर।
4. निजी सहायक, अति.महानिदेशक कारागार, राजस्थान,जयपुर।
5. समस्त अधीक्षक, केन्द्रीय/जिला कारागृह, ''ए'' श्रेणी, राजस्थान।
6. उप अधीक्षक, महिला बंदी सुधारगृह, जयपुर/जोधपुर।
7. प्रभारी, बाल बंदी सुधार गृह, अजमेर।
8. समस्त शाखा प्रभारी, महानिदेशालय कारागार, राज0, जयपुर।
9. कार्यालय अधीक्षक–स्थाई आदेशों की गार्ड फाईल संधारण हेतु।

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार,राजस्थान,जयपुर